कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री नन्दकिशोर दाधीच, प्रधानाचार्य, श्री बंशीधर पुरोहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला, जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि कालापुरा जिला जालौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री नन्दकिशोर दाधीच द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 570/2021 नन्दकिशोर दाधीच बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 570/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री नन्दकिशोर दाधीच के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री नन्दकिशोर दाधीच श्री बंशीधर पुरोहित राउमावि विद्याशाला, जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित प्रधानाचार्य श्रीमती शमीम का अन्तरिम समायोजन श्री दाधीच की सेवानिवृति दिनांक 31.07.2021 (दिनांक 01.08.2021 से प्रभावी) अथवा माननीय न्यायालय के याचिका में पारित अन्तिम निर्णय, (जो भी पहले हो) तक राउमावि बना का बास (BANA KA BAS), तिंवरी जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/नन्दकिशोर/570/2021 **दिनांक:** 29.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर/जालौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर/जालौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)